संख्या-239/2018/43/22-2-2018-17(09)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मंगलदेव गुप्ता, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कमल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मंगलदेव गुप्ता, निवासी-गोविन्ददास, थाना-अलीगंज, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी ने ड्यूटी के दौरान दिनांक 10-01-1985 की रात्रि लगभग 10:30 बजे वादी के घर में घुस कर 09 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर लूटपाट कर सरकारी रायफल से अर्जुन सिंह व सिंहासन नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45/2003 में भा0द0वि0 की धारा-396, 307/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक 18.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2017 तक 14 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2017 तक 14 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 09 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से रिहा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने ड्यूटी के दौरान दिनांक 10-01-1985 को घर में घुस कर 09 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर लूटपाट कर सरकारी रायफल से अर्जुन सिंह व सिंहासन की हत्या करने व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मंगलदेव गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमल कुमार गुप्ता (बन्दी संख्या-20133) पुत्र श्री मंगलदेव गुप्ता, निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-239/2018/43(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-239/2018/43/22-2-2018-17(09)/2018

दिनांक 22 मार्च, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध बन्दी कमल कुमार गुप्ता (बन्दी संख्या-20133) पुत्र श्री मंगलदेव गुप्ता, निवासी-गोविन्ददास, थाना-अलीगंज, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी ने ड्यूटी के दौरान दिनांक 10-01-1985 की रात्रि लगभग 10:30 बजे वादी के घर में घुस कर 09 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर लूटपाट कर सरकारी रायफल से अर्जुन सिंह व सिंहासन नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45/2003 में भा0द0वि0 की धारा-396, 307/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक 18.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2017 तक 14 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2017 तक 14 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 09 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से रिहा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने ड्यूटी के दौरान दिनांक 10-01-1985 को घर में घुस कर 09 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर लूटपाट कर सरकारी रायफल से अर्जुन सिंह व सिंहासन की हत्या करने व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मंगलदेव गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in